फर्द अहकाम

न्यायालय : सैशन न्यायाधीश दौसा

उनवान : रामजीलाल **बनाम** गजानन्द फिलिंग स्टेशन आदि

किस्म मुकदमा : दाण्डिक अपील संख्या– 52/2026

सीएनआर नंबर : RJDS010004332026

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
29.07.2026	अपीलार्थी/अभियुक्त रामजीलाल प्रोडक्शन वारण्ट पर विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालवास, जिला दौसा से असालतन मय विद्वान अधिवक्ता श्री अबुल कलाम खान उपस्थित। प्रत्यर्थी/परिवादी गजानन्द फिलिंग स्टेशन जरिये प्रोपराईटर प्रहलाद नारायण तथा स्वयं प्रहलाद नारायण असालतन मय विद्वान अधिवक्ता, श्री चरण सिंह डोई, उपस्थित। आदेश दिनांक 08.07.2026 की अनुपालना में अपीलार्थी/अभियुक्त रामजीलाल ने राशि 63,000/– रूपये प्रत्यर्थी/परिवादी प्रहलाद नारायण को न्यायालय के समक्ष अदा की जो प्रत्यर्थी/परिवादी प्रहलाद नारायण ने न्यायालय के समक्ष प्राप्त की। प्रत्यर्थी/परिवादी प्रहलाद नारायण की ओर निवेदन किया गया है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त रामजीलाल को इस प्रकरण में बरूए राजीनामा बरी किया जाता है तो उसे कोई एतराज नही है। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य अब किसी तरह का विवाद शेष नही है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त रामजीलाल को लोक अदालत की भावना से हुये राजीनामा के आधार से बरूए राजीनामा विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट प्रकरण), दौसा जिला दौसा के फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 4616/2020 बउनवानी गजानन्द फिलींग स्टेशन बनाम रामजीलाल में पारित निर्णय/दण्डादेश दिनांक 28.03.2026 को राजीनामा के आधार पर अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त रामजीलाल पुत्र कल्याणसहाय को बरूए राजीनामा दोषमुक्त कर बरी किया जाता है।	

सेशन न्यायाधीश
दौसा (राज०)

अतः उपाधीक्षक, जिला कारागृह, दौसा को रिहाई तहरीर जारी हो कि अपीलार्थी/अभियुक्त रामजीलाल की इस प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरण में आवश्यकता नही हो तो उसे इस प्रकरण में अविलम्ब रिहा कर दिया जावे।

इस आदेश की प्रति अविलम्ब आज ही विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

29/1/2026

सेशन न्यायाधीश
दौसा (राज0)

29/07/26
D.R.
आदेश की सत्यप्रति जरिये D.NO 781/29/07/26 से विचारण न्यायालय भिजवायी गयी।